

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/डी-303

दिनांक:-14/2/2013

### कार्यवाही विवरण

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 130वीं बैठक दिनांक 05.02.2013 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1	130.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 126 वीं बैठक दिनांक 26.11.2012, 127 वीं बैठक दिनांक 30.11.2012 एवं 128 वीं बैठक दिनांक 12.12.2012 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा क्रमशः परिशिष्ट 'अ' 'ब' एवं 'स' पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 126 वीं बैठक दिनांक 26.11.2012, 127 वीं बैठक दिनांक 30.11.2012 एवं 128 वीं बैठक दिनांक 12.12.2012 को सम्पन्न हुई जिसके कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं क्रियान्विति समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2	130.2	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, योजना 4-सी, जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. मौके के वर्तमान परिवेश के आधार पर भवन की ऊँचाई 29.80 मीटर (स्टिल्ट सहित) ऊँचाई अनुज्ञेय की जावे। 3. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे। उपरोक्त निर्णयानुसार आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त विनियमानुसार सही पाये जाने पर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
3.	130.3	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 48 व 49, शिवराज निकेतन, वैशाली नगर, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. भूखण्ड में दक्षिण पूर्व दिशा में 20' X 10' वर्ग फीट क्षेत्रफल में मेटेरियल स्टोर एवं पश्चिम दिशा में 10' X 5' वर्ग फीट क्षेत्रफल में टॉयलेट निर्मित है, जो कि टीनशेड

			<p>से ढके हुए अस्थाई रूप से निर्मित है। भूखण्ड की उत्तर-पश्चिम दिशा में 40' X 10' वर्ग फीट क्षेत्रफल में अस्थाई रूप से टीनशेड एवं 10' X 8' वर्ग फीट क्षेत्रफल में पूर्व दिशा में टीनशेड की दीवार लगाकर चौकीदार रूम अस्थाई रूप से निर्मित है, जिसके सम्बन्ध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अस्थाई निर्माणों को हटा दिया जावेगा।</p> <p>2. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
4.	130.4	<p>खसरा संख्या 16/1, ग्रुप हाउसिंग ब्लॉक-बी, (निजी खातेदार), ग्राम-धाऊवास, तहसील- जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. मौके पर भूखण्ड में अस्थाई टीनशेड से ढके हुए 30' X 10' वर्ग फीट क्षेत्रफल में 2 मेटेरियल स्टोर एवं 20' X 20' वर्ग फीट क्षेत्रफल में पुराना लेबर क्वार्टर निर्मित है। अतः इस सम्बन्ध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अस्थाई निर्माणों को हटा दिया जावेगा।</p> <p>3. आवेदक द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.12 के अनुसार प्रस्तावित एफ.ए.आर क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल से अधिक अर्थात् 5.91 प्रतिशत (468.86 वर्ग मीटर) निर्मित क्षेत्रफल ई.डब्ल्यू.एस वर्ग हेतु 14 ईकाईयों के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>4. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
5.	130.5	<p>भूखण्ड संख्या 51, 52, 53, 54, वशिष्ठ मार्ग, हनुमान नगर-ए, जयपुर के प्रस्तावित</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय</p>

		<p>आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li> <li>3. मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</li> <li>4. भवन की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक प्रस्तावित है। अतः भवन विनियम-2010 (संशोधित-2012) के नियम संख्या 19.7.21 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।</li> <li>5. भूखण्ड संख्या 51 व 54 पर निर्मित भवन को हटाए जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उक्त निर्माण हटा दिया जावेगा।</li> <li>6. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</li> </ol>
6.	130.6	<p>खसरा नम्बर 431/166, ग्राम- रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील- सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर/ बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया</li> </ol>



			<p>जावें।</p> <p>3. मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावें।</p> <p>4. नियमानुसार समस्त राशि ली जावें।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p>
7.	130.7	<p>भूखण्ड संख्या जी.सी.-2, सरस्वती विहार-ए, ग्राम-बडी का बास, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक/फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग हेतु उपयोग के लिए लिया जावेगा एवं भवन हेतु विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्राक्धान हेतु शपथ पत्र लिया जावें।</p> <p>3. मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावें।</p> <p>4. नियमानुसार समस्त राशि ली जावें।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p>
8.	130.8	<p>भूखण्ड संख्या जी-2, कनक वाटिका, ग्राम-शिवदासपुरा, तहसील- चाकसू जिला-जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. नियमानुसार समस्त राशि ली जावें।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p>

आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

9.	130.9	खसरा नम्बर 25 सम्पूर्ण व 24, 26,27 का आंशिक भाग ग्राम पापड तहसील जयपुर में प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः संशोधित मानचित्र के लिए अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li> <li>3. मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</li> <li>4. मौके के वर्तमान परिवेश के आधार पर भवन की ऊँचाई 29.80 मीटर (स्टिल्ट सहित) ऊँचाई अनुज्ञेय की जावे।</li> <li>5. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे।</li> </ol> <p>उपरोक्त निर्णयानुसार आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त विनियमानुसार सही पाये जाने पर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
10.	130.10	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 134, 135, व 136 मोदी नगर (गुलाब बाडी भवन निर्माण सहकारी समिति) में आवासीय परिसर के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. 1.20 से अधिक एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</li> <li>3. सड़क की भूमि पर से कब्जा हटवाया जावे।</li> <li>4. पुराने निर्माण को हटाए जाने के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग ली जावे कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त निर्माण ध्वस्त कर दिया जावेगा।</li> </ol>




			<p>5. भवन विनियम-2010 (संशोधित-2012) के नियम 8.8(111) के अनुसार "सेटबैक भूमि समर्पण के पश्चात् समर्पित भूमि की चौड़ाई के बराबर कम माना जावेगा ताकि भवन रेखा पूर्वानुसार ही है। अतः जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लानानुसार भूखण्ड की नाप रखते हुए सड़क क्षेत्र में आ रही भू-पट्टी को सेटबैक का हिस्सा मानते हुए मानचित्रों का परीक्षण किया जावे।</p> <p>6. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
11.	130.11	500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के निर्माण स्वीकृति/भवन मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में नितिगत निर्णय बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि तालिका 1 के क्रम संख्या क (iii) से (vi) अनुसार 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के भवन मानचित्र अनुमोदन जोन स्तर से किये जावे एवं इस सम्बन्ध में प्रशासनिक आदेश सचिव, जविप्रा द्वारा जारी किये जावे एवं मानचित्र परीक्षण हेतु गाईडलाईन्स पृथक से भवन मानचित्र शाखा द्वारा जारी की जावेगी।</p>
12.	130.12	भूखण्ड संख्या 89, 90, 100 व 101 राठीड नगर-क्वीन्स रोड जयपुर पर प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</li> <li>3. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
13.	130.13	भूखण्ड संख्या आर-1, योजना अर्पण, ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा</li> </ol>

			<p>के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>3. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
14.	130.14	<p>खसरा नम्बर 2015, 2016, 2017 व 2018, योजना रानीबाग, ग्राम-सिरसी, तहसील-जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रिट्ल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li> <li>3. मौके पर निर्मित अस्थाई टीनशेड हटवाया जावे।</li> <li>4. कुल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</li> <li>5. कुल प्रस्तावित 456 फ्लैट के 15 प्रतिशत 69 EWS/LIG फ्लैट कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र में अपेक्षित है। कुल 72 EWS/LIG फ्लैट प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के 7.28 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</li> <li>6. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
15.	130.15	<p>खसरा संख्या 163, ग्राम- रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित फ्लैट्स के भवन मानचित्र</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p>



	<p>अनुमोदन बाबत।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्राक्धान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li> <li>3. मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</li> <li>4. नियमानुसार समस्त राशि ली जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</li> </ol>
--	----------------------	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

  
14/2/13

सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 130वीं बैठक दिनांक 05.02.2013 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. श्री कुलदीप रांका, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।              | अध्यक्ष    |
| 2. श्री विष्णु चरण मल्लिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।           | सदस्य      |
| 3. श्री जे.बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा जयपुर।         | सदस्य      |
| 4. श्री नीरज तिवाड़ी, अति.मु.न.नि. बीपीसी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित:-

5. श्री जी.एल. शर्मा, उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती उषा जैन, सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

  
14/2/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि./बीपीसी/2013/डी-303

दिनांक:- 14/2/2013

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन)/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

  
14/2/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)